Preface

प्रस्तावना

प्रत्येक भाषा प्रारम्भ में बोलचाल की भाषा के रूप में जन्म लेती है। किन्तु आगे चलकर जैसे-जैसे उस भाषा के बोलने वालों का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मौलिक, तकनीकी, साहित्यिक और प्रशासनिक विकास होता है, उस भाषा का भी दो दिशाओं में विकास होता जाता है। एक भाषा वह जो अपनी अभिव्यक्ति में अधिक व्यंजक, सक्षम और समर्थ होती जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रयोग क्षेत्र के अनुसार उस भाषा के अलग-अलग रूप होते हैं। पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी-पांच उपभाषाओं के सामूहिक नाम से जानी जाने वाली हिन्दी सन् 1000 ई. के आसपास जन्मी। शुरू में यह केवल बोलचाल की ही भाषा थी लेकिन धीरे-धीरे सन् 1150 ई. आसपास हिन्दी में साहित्यिक कृतियों का प्रणयन शुरू हुआ। इसके साथ ही इसका प्रयोग वैयक्तिक पत्र-व्यवहार में भी होने लगा। यूं तो हिन्दी का प्रयोग आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में साहित्य के अलावा प्रशासन आदि में भी यदाकदा होता रहा और कभी-कभार इसमें ज्योतिष, गणित, चिकित्साशास्त्र जैसे वैज्ञानिक विषय की पुस्तकें भी निकलती रही, किन्तु हिन्दी प्रधानतः बोलचाल और साहित्य की भाषा बनी रही। सन् 1850 के बाद हिन्दी भाषा में विधिवत् परिलक्षित हुई। 1900 के आसपास यह विविधता और मुखरित हुई तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तो उसमें असीम वृद्धि हुई है। आज स्थिति यह है कि

हिन्दी भाषा साहित्य से इतर अनेक क्षेत्रों यथा-पत्रकारिता और अन्य संचार-माध्यम, वाणिज्य, विज्ञान, खेलकूद, विधि, प्रशासन आदि में प्रयुक्त हो रही है। यहां तक कि विज्ञान की आधुनिकतम विधा कम्प्यूटर क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। हिन्दी के जो विविध रूप विकसित हुए हैं उन्हें 'प्रयुक्ति' कहा जाता है। 'साहित्यिक हिन्दी' एक प्रयुक्ति है तो 'प्रशासनिक हिन्दी', 'विधिक हिन्दी', 'पत्रकारिता की हिन्दी', 'वाणिज्य व्यापार की हिन्दी', 'वैज्ञानिक हिन्दी' आदि हिन्दी की अन्य विभिन्न प्रयुक्तियां हैं जिनका शनैः-शनैः विकास हो रहा है।

हिन्दी में अर्थ की अभिव्यक्ति अमिधा, लक्षणा तथा व्यंजना के द्वारा की जाती है। किन्तु हिन्दी की सभी प्रयुक्तियों में इन तीनों का समान रूप से प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम साहित्य में देखते हैं कि अमिधा का कम से कम और लक्षणा व व्यंजना का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके ठीक विपरीत व्यवहारिक हिन्दी में अथवा अन्य साहित्येतर प्रयुक्तियों में यह प्रयास किया जाता है कि इनमें अमिधा का ही अधिकाधिक प्रयोग हो। व्यवहारिक हिन्दी की यही विशेषता इसे साहित्यिक हिन्दी से प्रथक करती है। हिन्दी न केवल साहित्यिक क्षेत्र में लोकप्रिय माध्यम रही है बल्कि अन्य विविध क्षेत्रों में उतनी ही लोकप्रिय सिद्ध हुई है। साहित्य के अतिरिक्त जहाँ-जहाँ हिन्दी का प्रयोग विकास की दिशा में निरंतर बढ़ रहा है उनमें शामिल हैं - केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक, शिक्षण संस्थाएं, संचार-माध्यम के संस्थान यथा पत्रकारिता, रेडियो, टी.वी. आदि। इन क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग निरन्तर विकास की ओर अग्रसर हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न संस्थानों की गृह पत्रिकाओं का हिन्दी के विकास में योगदान कम नहीं है। ऐसे समय में जब साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन एक-एक करके बन्द होता जा रहा था, हिन्दी को पत्रिकाओं में जीवित रखने का महान कार्य इन गृहपत्रिकाओं ने बखूबी निभाया है। आज केन्द्रीय कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, निजी संस्थानों, उद्योग घरानों, राज्य सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों आदि अपने कार्यालयों/संस्थानों के कार्यकलाप उनकी गृहपत्रिकाओं के माध्यम से मुखरित हो रहे हैं। यही कारण है कि इस शोध

प्रबन्ध में इस विधा पर एक सम्पूर्ण अध्याय रखा गया है। उक्त शोध-प्रबन्ध में जैसा कि इसके विषय से ज्ञातव्य है, साहित्य के अतिरिक्त लगभग सभी अन्य विधाओं में हिन्दी के क्रमिक विकास और प्रयोग को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। हो सकता है इन विधाओं पर अन्यत्र काफी कुछ लिखा गया हो किन्तु आधुनिक हिन्दी का जो वर्तमान स्वरूप हमारे समक्ष विभिन्न कार्यक्षेत्रों में उभरा है, उस पर अभी भी काफी कुछ लिखे जाने की सम्भावनाएं हैं। वस्तुतः हिन्दी का विभिन्न कार्यक्षेत्रों में विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और इसके विविध रूपों पर किए जाने वाले शोध की मांग और आवश्यकता आगे भी बनी रहेगी। हिन्दी साहित्य पर अनगिनत अनुसंधान हुए हैं और संभव हैं आगे भी होते रहेंगे। किन्तु साहित्यिक हिन्दी और कामकाजी हिन्दी दो भिन्न-भिन्न मार्गों पर अग्रसर हो चली है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में हिन्दी के दूसरे रूप को लेकर मुख्यतः चर्चा की गई है। शोध प्रबन्ध को निम्नलिखित 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है :-

1. हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास
2. राष्ट्रीय आन्दोलन और राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का विकास
3. संघ की राजभाषा नीति एवम् राजभाषा हिन्दी का विकास
4. प्रयोजन मूलक हिन्दी और पारिभाषिक शब्दावली
5. विज्ञान एवम् तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का विकास
6. कम्प्यूटरीकरण और हिन्दी
7. विधिक क्षेत्र में हिन्दी प्रयोग-समस्याएं एवम् समाधान
8. जन-संचार माध्यमों में हिन्दी का विकास
9. हिन्दी के प्रचार प्रसार में फिल्मों की भूमिका
10. गृह पत्रिकाएं एवम् हिन्दी के प्रचार-प्रसार में उनकी भूमिका

व्यावहारिक हिन्दी अथवा कामकाजी हिन्दी का जन्म मूलभाषा संस्कृत से हुआ है। बताया जाता है कि प्राचीन भारत में सम्पूर्ण राजकाज संस्कृत भाषा के माध्यम से होता था। ऐसे बहुत से अभिलेख देखने में आए हैं जिनसे पता चलता है कि गुप्त

साम्राज्य का अधिकांश राजकाज संस्कृत भाषा में ही होता था। संस्कृत के पश्चात् पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकारी गईं हैं। वस्तुतः पूर्वकाल ही से मध्य देश की भाषा को संपर्क भाषा या राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकारा गया है। भारतीय संस्कृति और धर्म का केन्द्र और स्रोत प्राचीन काल से ही मध्य देश रहा है, यहीं की भाषा पूरे देश की एक प्रकार से राष्ट्रभाषा रही है। पाली, शौरसेनी, प्राकृत, अपभ्रंश सभी भाषाओं का सम्बन्ध इसी मध्यवर्ती भू-भाग से था। खड़ी बोली हिन्दी भी इसी मध्य देश से सम्बद्ध है और अपने-अपने काल की सर्वमान्य भाषा की परम्परा में आती है। इसी प्रकार परम्परागत रूप से ही हिन्दी सर्वमान्य भाषा रही है और आज भी यह धारणा किसी न किसी रूप में मान्य-सी रही है कि हिन्दी प्रदेश ही भारत का केन्द्र है।

कामकाजी भाषा के रूप में हिन्दी की परंपरा है और उसका व्यवहार आठ सौ वर्षों से इस देश के विभिन्न प्रशासनों में पाया जाता है। महाराजा पृथ्वीराज चौहान और रावल समर सिंह के पत्र इसके प्रमाण हैं। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी तथा शेरशाह सूरी के काल के ऐसे बहुत से सिक्के मिले हैं जिन पर हिन्दी शब्द अंकित हैं। जब मुगलों का शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने अपने प्रशासन को सफल बनाने के उद्देश्य से हिन्दू जनता, हिन्दू राजाओं, हिन्दू धर्म और हिन्दी भाषा के प्रति उदारता और समन्वय की नीति को अपनाना ही उचित समझा। राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग बादशाह अकबर ने ही शुरू किया और इस परम्परा को बाद के सभी मुगल बादशाहों ने आगे बढ़ाया। इस बादशाहों के बहुत नियम, उपनियम, फरमान आदि हिन्दी में लिखे जाते थे और साधारण जनता के साथ की जाने वाली सभी कार्रवाइयों में हिन्दी भाषा का ही प्रयोग होता था। चूंकि बादशाह का प्रशासन अनेक राजाओं से और इतने बड़े इलाके की आम जनता से सम्पर्क रखता था, इसलिए विकसित होती हुई हिन्दी, राजस्थानी, ब्रज आदि दस्तावेजों के जरिए फारसी, अरबी की प्रशासन शब्दावली गांवों तक पहुँचने लगी थी। यहीं से उर्दू की नींव दृढ़ हो चली। मुगलकाल में उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर आदि रजवाड़ों के राजकाज में हिन्दी का

प्रयोग होता था। इस प्रकार की सामग्री राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में सुरक्षित है।

18वीं सदी के प्रारम्भ में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ-साथ जब मराठों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया तब उनका सम्पर्क उत्तर भारत के अधिकारियों, व्यापारियों और किसानों के साथ स्थापित हुआ। ऐसी स्थिति में मराठा राजाओं, पेशवाओं और सरदारों को प्रशासन की व्यापकता के साथ-साथ हिन्दी को अपने राजकाज की भाषा स्वीकार करना पड़ा। मराठा शासक अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी का प्रयोग करते थे। जहाँ तक अंग्रेजों के शासन में हिन्दी की स्थिति का प्रश्न है, प्रारंभ के कंपनी सरकार और बाद में ब्रिटिश सरकार दोनों ने ही अपने राजकाज की भाषा में हिन्दी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। कंपनी सरकार ने शासकीय कार्य के लिए हिन्दुस्तानी सिखाने हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दुस्तानी भाषा एक ऐसी भाषा थी जिसके बिना कोई सार्वदेशिक कार्य नहीं हो सकता था।

किन्तु जैसे-जैसे अंग्रेज शासन ने देश में अपनी जड़ें जमानी शुरू कीं, हमारी भाषा और संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति के प्रकाश से निस्तेज होती गई। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करते-करते हमारी सांस्कृतिक और भाषायी अस्मिता विलुप्त सी हो गई। अंग्रेजी को सर्वोच्च स्थान देते हुए मैकाले की शिक्षा नीति को स्वीकार कर लिया गया और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजी की अनिवार्य शिक्षा ने इस देश के करोड़ों बच्चों को दिमागी तौर पर पंगु और अपाहिज बना दिया। अंग्रेजी ने वर्ग भेद को बढ़ावा दिया तथा आम जनता से नफरत कराने वाला एक फूहड़ और नकलची वर्ग तैयार किया। मुट्ठी भर लोग अंग्रेजी के बल पर अमीर और शक्तिशाली हो गए। ऐसे समय में जब स्वतंत्रता आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, भारतीय नेताओं का ध्यान भाषायी अस्मिता की ओर गया। भारत के लोग अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध बोलने लगे। हिन्दी सीना और बोलना स्वतंत्रता आन्दोलन का एक अभिन्न अंग बन गया। लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, सुभाषचन्द्र बोस,

राजगोपालाचारी, पं. मदनमोहन मालवीय, आचार्य नरेन्द्र देव, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन आदि नेताओं ने हिन्दी की अस्मिता को पहचाना और हिन्दी के प्रचार-प्रसार में जुट गए। महात्मा गांधी ने तो राष्ट्रभाषा हिन्दी के आन्दोलन को स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ जोड़ दिया। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ स्वभाषा को राजपद दिलाने की मांग उठी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नारा लगाया -

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल ।।

राजा राममोहनराय ने कहा कि इस समग्र देश की एकता के लिए हिन्दी अनिवार्य है। राष्ट्रभाषा के प्रति जन जागरण को कांग्रेस ने संगठित रूप देना शुरू किया और देश के सब राष्ट्रवादी देशभक्त इसके नीचे आकर देश की हितचिन्ता करने लगे। हिन्दी अनेक भाषा-भाषियों के बीच सम्पर्क सूत्र बन गई। हिन्दी के माध्यम से ही जनता में राष्ट्रीय स्वाधीनता की आकांक्षा फैली।

1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी राजभाषा पद पर स्थापित करने के संविधान द्वारा लिए गए निर्णय के साथ ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं का स्वप्न साकार हुआ। हिन्दी संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि राजलिपि स्वीकृति की गई। चूंकि उस समय तक सारा सरकारी कामकाज अंग्रेजी में चल रहा था, इसलिए तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह भी तय किया गया कि संविधान लागू होने की तारीख से अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी में ही राजकाज चलता रहेगा। पंद्रह वर्ष की यह अवधि अंग्रेजी में कार्य करने वाले तंत्र को हिन्दी में काम करने की आदत डालने, कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित करने, शब्दावलियों का निर्माण करने तथा हिन्दी में यॉंत्रिक सुविधाओं को जुटाने के लिए दी गई थी। यह भी व्यवस्था की गई कि इस बीच हिन्दी का इस तरह से विकास किया जाए कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।' अंग्रेजी को केवल जनवरी 1965 तक संघ की राजभाषा के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति दी गई थी। किन्तु कतिपय राजनीतिक एवम् अन्य कारणों से राजभाषा

अधिनियम 1963 के द्वारा अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए संघ की सह-राजभाषा बने रहने की व्यवस्था कर दी गई। इसी अधिनियम के तहत संघ और राज्य सरकारों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा और सामान्य आदेश आदि के द्विभाषी रूप में जारी करने की व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा संसदीय राजभाषा समिति के गठन तथा नियम अधिनियमों के प्राधिकृत अनुवाद का भी प्रावधान किया गया। राजभाषा संकल्प 1968 के द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम, वार्षिक रिपोर्ट तथा कुछ केन्द्रीय सेवाओं के लिए परीक्षाओं में हिन्दी के विकल्प की व्यवस्था की गई। राजभाषा नियम 1976 के द्वारा राज्यों को 'क', 'ख', और 'ग' क्षेत्रों में बाँटकर पत्राचार का माध्यम और हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य नियत किए गए तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए कतिपय नियम बनाए गए। इस प्रकार हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिए जाने के बाद संघ सरकार पर इस बात का उत्तरदायित्व डाला गया कि वह इसके क्रियान्वयन का क्रमबद्ध विकास करे। उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की गई कि वे शीघ्रतिशीघ्र पूरी तरह हिन्दी में कामकाज करने लगेंगे। इन अधिनियम, नियमों के परिणाम स्वरूप संघ सरकार का काफी कार्य आज हिन्दी माध्यम से अथवा द्विभाषी रूप में किया जा रहा है।

पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का प्रथम प्रयास हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद 1961 में 'विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग' की स्थापना के बाद आयोग ने समय-समय पर कई शब्दावलियाँ तैयार की। किन्तु निरंतर प्रयासों के बावजूद अभी भी यह स्थिति है कि अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी में अनेक पर्याय चल रहे हैं। प्रायः यह भी महसूस किया गया है कि पारिभाषिक शब्दों और वाक्यांशों में काफी जटिलता पाई जाती है अतः यह स्पष्ट किया गया है कि जो शब्द सामान्य प्रचलन में हैं उन्हीं का प्रयोग उचित है। यद्यपि हिन्दी शब्द निर्माण में संस्कृत धातुओं के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, परन्तु भाषाई संक्रमण-काल तथा सामासिक संस्कृति के विचार को ध्यान में रखकर आम-फहम शब्दों का प्रयोग न केवल जरूरी है बल्कि

समय की मांग भी है। जहाँ तक विधिक, तकनीकी तथा ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग का प्रश्न है तो उनकी अभिव्यक्ति के लिए हिन्दी में अनेक शब्द हैं। इन क्षेत्रों में सरलीकरण कहाँ तक हो यह आज भी विवाद का विषय है किन्तु यह स्पष्ट है कि तकनीकी साहित्य में सामान्य अभिव्यंजना के लिए आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए परन्तु सम्बद्ध व्यवसाय, तकनीक अथवा प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो अपना विशेष अर्थ रखते हैं और जिनके लिए मानक पारिभाषिक शब्दावली उपलब्ध है उनके लिए आम प्रयोग के शब्दों का प्रयोग किया जाना अनुचित होगा। ऐसे मानक शब्दावली के प्रयोग से जब पाठक परिचित हो जाएंगे तो वे शब्द अनायास ही उन्हें सहज और सरल लगने लगेंगे।

आज संप्रेषण और संपर्क के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण यन्त्र कम्प्यूटर एक महान भूमिका निभा रहा है। हिन्दी के क्षेत्र में मल्टीवर्ड, शब्दरत्न, अक्षर, प्रकाशक, वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर में कार्य करने के लिए उपलब्ध है। राजभाषा विभाग के तकनीकी सेल तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान संस्थान के सहयोग से जिस्ट कार्ड द्वारा हिन्दी में डाटा-एंट्री की तकनीक भी विकसित की गई है। इलेक्ट्रोनिकी आयोग ने देवनागरी कम्प्यूटरों के निर्माण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। ई.सी.आई.एल. (हैदराबाद), बी.आई.टी.एस. (पिलानी) ने भी देवनागरी कम्प्यूटरों के निर्माण में विशेष रुचि ली। इधर कई कम्पनियों ने देवनागरी युक्त द्विभाषिक और बहुभाषिक कम्प्यूटरों को बाजार में उतारा है। इस प्रकार कम्प्यूटरीकरण में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संतोषजनक प्रयास चल रहे हैं।

जन संचार माध्यमों ने प्रारम्भ से ही हिन्दी को व्यापकता प्रदान की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिन्दी को अहिन्दी भाषियों के बीच लोकप्रिय और सहज ग्राह्य बनाने में चलचित्र, रेडियो, टी.वी. की भूमिका अत्यन्त प्रभावी रही है। इन माध्यमों के द्वारा प्रसारित यही वह हिन्दी है जो हर प्रदेश के शब्द और अभिव्यक्तियों को अपने गीतों और संवादों में संजोकर समृद्ध होती हुई राजनीति की खोदी हुई खाईयों को पाटती चल रही है। यही वह हिन्दी है जो काश्मीर से लेकर केरल तक में ही नहीं

बल्कि कुवैत और कनाड़ा तक में सहज ही समझी व बोली जाने लगी है। जनसंपर्क का एक नया माध्यम उभर कर आया है और वह है गृह-पत्रिका। गृह पत्रिकाएँ किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान के प्रति जनअभिमत या लोकमत निर्धारित कराने का एक जागरुक माध्यम है। वर्तमान औद्योगिक विकास की तीव्र गति के साथ-साथ गृह-पत्रिकाओं की भूमिका भी अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण होती जा रही है। व्यावसायिक संस्थानों, निजी प्रतिष्ठानों या स्वायत्त संस्थानों के अतिरिक्त गृह पत्रिकाएं सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि के द्वारा भी काफी संख्या में प्रकाशित की जा रही हैं। दरअसल इन्हीं गृह पत्रिकाओं के माध्यम से कर्मचारियों के मध्य हिन्दी का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से हो रहा है। कामकाजी या व्यावहारिक हिन्दी का नया रूप इन्हीं गृह पत्रिकाओं के माध्यम से उभर कर आ रहा है।

हिन्दी प्रयोग का क्षेत्र विधि हो या विज्ञान, कम्प्यूटर हो या पत्रकारिता, उद्योग-व्यवसाय हो या प्रौद्योगिकी, फिल्म हो या टेलीविजन, सरकारी उपक्रम हों या निजी उपक्रम-सभी में हिन्दी के मूल रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता है। तात्पर्य यह है कि इन क्षेत्रों में साहित्य के समान ही न केवल चिन्तन हिन्दी में हो बल्कि इसकी अभिव्यक्ति भी हिन्दी की स्वाभाविक और सहज शैली में हो और इन सबसे ऊपर अंग्रेजी के प्रति मोह को त्याग कर मानसिक दासता से स्वयं को मुक्त करें। तभी ज्ञान-विज्ञान के हर क्षेत्र में हिन्दी प्रयोग के अपेक्षित लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे।